19. प्रस्तुत मामले में, स्वीकृततः, अंतरण विलेख प्रतिफलार्थ निष्पादित किया गया था और किसी भी दशा में इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए सशर्त था कि आदाता याची और उसके पति की देखभाल करेगा और इस शर्त के भी अध्यधीन था कि दान दाता की मृत्यु के पश्चात् प्रभावशील होगा । अतः, हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए विवश हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को किया गया प्रश्नगत संपत्ति का दान पूर्ण नहीं था और अपीलार्थी को विलेख को रद्द करने का अधिकार था । अतः, उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को संधार्य नहीं रखा जा सकता है ।

20. यह अपील मंजूर की जाती है और अपीलाधीन निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

[2019] 1 उम. नि. प. 463

रामवीर

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

26 अक्तूबर, 2018

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदु मल्होत्रा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 148, 149 और 302 – विधिविरुद्ध जमाव – हत्या – विधिविरुद्ध जमाव के सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त और केवल एक अभियुक्त-अपीलार्थी को हत्या के लिए दोषसिद्ध किया जाना – अपील में दोषसिद्धि को कायम रखते हुए उसे विधिविरुद्ध जमाव के लिए भी दोषसिद्ध किया जाना – यदि विधिविरुद्ध जमाव के सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया हो और राज्य द्वारा दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील न की गई हो, तो उनकी दोषमुक्ति का आदेश अंतिम हो जाने पर केवल एक अभियुक्त को विधि-

विरुद्ध जमाव के लिए दोषसिद्ध करना न्यायोचित नहीं होगा ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302/149 – हत्या और विधिविरुद्ध जमाव – विधिविरुद्ध जमाव के लिए सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाना – एक अभियुक्त-अपीलार्थी को मृतक की हत्या के लिए दोषसिद्ध किया जाना – जहां यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य न हो कि जिस गोली से मृतक की हत्या हुई वह अभियुक्त द्वारा चलाई गई थी और अभियुक्त से बरामद की गई राइफल तथा घटनास्थल से बरामद हुए कारतूसों का प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट में मिलान न हुआ हो, वहां अभियुक्त को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना न्यायोचित होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि सिया राम (मृतक) और उसका पुत्र कृपाल (अभि. सा. 2) गांव-बिशनोडी (पुलिस थाना-पटियाली) में अपने मकान से "बैठक" नामक स्थान पर जा रहे थे । जब वे राम विलास नाम व्यक्ति की झोपड़ी के निकट पहुंचे, तो अपीलार्थी (रामवीर) सहित पांच व्यक्ति अर्थात् (1) भूरे (2) सत्यराम (3) शैताल सिंह (4) राम दास और (5) जगदम्बा प्रसाद बंदूकों/राइफलों से लैस होकर वहां आए और सिया राम को घेर लिया तथा अपनी बंदूकों/राइफलों से गोलियां चलाईं । सिया राम क्षतियां पहुंचने पर नीचे गिर गया और क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । बदरी (अभि. सा. 1) – मृतक के चाचा ने अगले दिन सुबह छह नामित व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना, पटियाली में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । अन्वेषण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोल्लिखित नामित छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । इन छह व्यक्तियों का भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 148/149 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए विचारण किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने तारीख 15 जुलाई, 1983 के निर्णय द्वारा छह अभियुक्तों में से पांच (अभियुक्त-2 से अभियुक्त-6) को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया । जहां तक अपीलार्थी (अभियुक्त-1) का संबंध है, उसे भी भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया गया । अपीलार्थी (रामवीर) ने व्यथित होकर इस आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में

दांडिक अपील फाइल की । जहां तक राज्य का संबंध है, राज्य ने आदेश के उस भाग के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की जिसके द्वारा अभियुक्त-2 से अभियुक्त-6 को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया गया था, न ही राज्य ने अभियुक्त-1 की भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराध की बाबत दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी और अपीलार्थी की दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को कायम रखते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए भी दोषसिद्ध किया । अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह विवादग्रस्त नहीं है कि सेशन न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149 के अधीन आने वाले अपराध कारित करने के लिए पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया था । यह भी विवादग्रस्त नहीं है कि अपीलार्थी की दोषमुक्ति को राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल करके चुनौती नहीं दी गई थी । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, अभियुक्त (इस अपील में अपीलार्थी) द्वारा फाइल की गई अपील में उच्च न्यायालय के लिए इस प्रश्न पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि इस प्रश्न ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी । द्वितीय, किसी भी स्थिति में, पांच अभियुक्त व्यक्तियों को भी उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149 के अधीन विरचित किए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था, इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्वोक्त धारा 148/149 के अधीन उसकी दोषसिद्धि का कोई मामला नहीं बनता था । दूसरे शब्दों में, सेशन न्यायाधीश द्वारा जब एक बार यह अभिनिर्धारित कर दिया गया था कि सभी छह अभियुक्त व्यक्तियों को पूर्वोक्त धारा 148/149 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है और तद्नुसार, दोषमुक्त कर दिए गए थे तथा आदेश के इस भाग के विरुद्ध राज्य द्वारा कोई अपील फाइल नहीं की गई थी, इसलिए उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149 के अधीन दोषसिद्ध करके न्यायोचित नहीं किया था । अभियोजन का यह पक्षकथन नहीं है कि यद्यपि इन छह

अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149 के अधीन विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था, तो भी घटना के समय अपीलार्थी के साथ इन पांच नामित अभियुक्त व्यक्तियों से भिन्न कुछ और अज्ञात व्यक्ति मौजूद थे और इसलिए पांच अभियुक्त व्यक्तियों की दोषमुक्ति के होते हुए भी अपीलार्थी को ऐसे अज्ञात व्यक्तियों के साथ विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में फिर भी दोषसिद्ध किया जा सकता था । पूर्वोल्लिखित तीन कारणों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड सहिता की धारा 148/149 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध करके न्यायोचित नहीं किया था । अत:, दोनों धाराओं के अधीन दोषसिद्धि तथ्यों के आधार पर और विधि की दृष्टि से संधार्य नहीं है और इसलिए, अपास्त किए जाने योग्य है । (पैरा 14, 15, 16, 18 और 19)

जहां तक अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, यह भी तथ्यात्मक और विधिक रूप से निम्नलिखित कारणों से संधार्य नहीं है । यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी ने ही वह गोली चलाई थी जिससे सिया राम की मृत्यु हुई थी; द्वितीय, प्राक्षेपिकी रिपोर्ट (प्रदर्श सी-1) से अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं होता है क्योंकि इसमें यह राय व्यक्त की गई है कि दागे गए और घटनास्थल से बरामद किए गए कारतूसों को अपीलार्थी की राइफल से नहीं दागा जा सकता था और तृतीय, अभिकथित राइफल को घटना के ठीक पश्चात् पुलिस अभिरक्षा में नहीं लिया गया था अपितु इसे अपीलार्थी द्वारा न्यायालय में अभ्यर्पित किया गया था । पूर्वगामी कारणों से, न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थी संदेह के फायदे का हकदार है और इसलिए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन उसके विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए । (पैरा 20, 21 और 22)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 183.

1983 की दांडिक अपील सं. 1649 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय

के तारीख 28 फरवरी, 2012 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री एस. आर. सिंह, ज्येष्ठ अधिवक्ता, मंगत प्रसाद, आदर्श वर्मा और (सुश्री) नमिता चौधरी

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री मनोज के. मिश्रा और प्रदीप मिश्रा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – यह अपील अभियुक्त (अभि-1) द्वारा 1983 की दांडिक अपील सं. 1649 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 28 फरवरी, 2012 को पारित उस अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा इस अपील में अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी गई थी ।

2. संक्षेप में, अभियोजन का पक्षकथन निम्नलिखित रूप में है ।

3. तारीख 25 दिसम्बर, 1980 को लगभग 5.00 बजे अपराह्न में सिया राम (मृतक) और उसका पुत्र कृपाल (अभि. सा. 2) गांव-बिशनोडी (पुलिस थाना-पटियाली) में अपने मकान से "बैठक" नामक स्थान पर जा रहे थे । जब वे राम विलास नामक व्यक्ति की झोपड़ी के निकट पहुंचे, तो अपीलार्थी (रामवीर) सहित पांच व्यक्ति अर्थात् (1) भूरे (2) सत्यराम (3) शैतान सिंह (4) राम दास और (5) जगदम्बा प्रसाद बंदूकों/राइफलों से लैस होकर वहां आए और सिया राम को घेर लिया तथा अपनी बंदूकों/राइफलों से गोलियां चलाईं । सिया राम क्षतियां पहुंचने पर नीचे गिर गया और क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई ।

4. शोर सुनकर मृतक के चाचा बदरी (अभि. सा. 1) के साथ-साथ सह-ग्रामवासी जो घटनास्थल के आस-पास थे, घटनास्थल की ओर दौड़े । अपीलार्थी (अभियुक्त-1) और पांच अन्य अभियुक्त व्यक्ति (अभियुक्त-2 से अभियुक्त-6) तेजी से अपनी ओर आ रही भीड़ को देखकर हवा में गोलियां चलाते हुए घटनास्थल से भाग गए ।

5. बदरी (अभि. सा. 1) – मृतक के चाचा ने अगले दिन सुबह छह नामित व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना, पटियाली में प्रथम इत्तिला

रिपोर्ट दर्ज की । अन्वेषण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोल्लिखित छह नामित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । इन छह व्यक्तियों का भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 148/149 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए विचारण किया गया । अभियोजन पक्ष ने आठ साक्षियों की परीक्षा की जबकि प्रतिरक्षा पक्ष ने भी दो साक्षियों की परीक्षा की ।

6. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने तारीख 15 जुलाई, 1983 के निर्णय द्वारा छह अभियुक्तों में से पांच (अभियुक्त-2 से अभियुक्त-6) को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया । जहां तक अपीलार्थी (अभियुक्त-1) का संबंध है, उसे भी भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया गया । आदेश का प्रवर्तनशील भाग निम्नलिखित है :–

> "अभियुक्त रामवीर (इस अपील में अपीलार्थी) को तद्द्वारा केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जाता है और उसे तद्द्वारा इसके लिए दोषसिद्ध किया जाता है । तथापि, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाता है और उसे तद्द्वारा इसके लिए दोषमुक्त किया जाता है ।
>
> अभियुक्त भूरे, सत्य राम, शैतान सिंह, रामदास और जगदम्बा प्रसाद भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और 302/149 के अधीन दोषी नहीं पाए गए हैं और उन्हें तद्द्वारा दोषमुक्त किया जाता है ।
>
> वे जमानत पर हैं । उनके जमानत बंधपत्र तद्द्वारा रद्द किए जाते हैं और प्रतिभूतियां उन्मोचित की जाती हैं । उन्हें अभ्यर्पण करने की आवश्यकता नहीं है ।
>
> अभियुक्त रामवीर भी जमानत पर है । उसे तुरंत अभिरक्षा में लिया जाएगा । उसके जमानत बंधपत्र तद्द्वारा रद्द किए जाते हैं

और प्रतिभूतियां उन्मोचित की जाती हैं ।"

7. अपीलार्थी (रामवीर) ने व्यथित होकर इस आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दांडिक अपील फाइल की । जहां तक राज्य का संबंध है, राज्य ने आदेश के उस भाग के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की जिसके द्वारा अभियुक्त-2 से अभियुक्त-6 को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया गया था, न ही राज्य ने अभियुक्त-1 की भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अधीन दंडनीय अपराध की बाबत दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील फाइल की । इसलिए, इस सीमा तक सेशन न्यायाधीश का निर्णय अंतिम हो चुका है ।

8. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी और अपीलार्थी की दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को कायम रखते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया । उच्च न्यायालय के आदेश का प्रवर्तनशील भाग निम्नलिखित है :–

> "तद्नुसार, हम अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को परिवर्तित करके उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और 302/149 के अधीन दोषसिद्ध करते हैं । हम दोनों धाराओं के अधीन उस दंडादेश से भिन्न कोई अन्य दंडादेश नहीं देना चाहते हैं जो विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा उसके विरुद्ध पारित किया गया है ।"

9. अपीलार्थी ने इस आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील के लिए विशेष इजाजत अभिप्राप्त करने के पश्चात् वर्तमान अपील फाइल की है ।

10. इस प्रकार, इस अपील में विचार करने के लिए दो प्रश्न उद्भूत होते हैं : प्रथम, क्या उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी (अभियुक्त-1) की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को कायम रखकर न्यायोचित किया है और द्वितीय, क्या उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149 के अधीन दोषसिद्ध करके न्यायोचित किया है या नहीं ।

11. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री एस. आर. सिंह और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री मनोज के. मिश्रा को सुना ।

12. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् हम अपील को मंजूर करने, आक्षेपित आदेश को अपास्त करने और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन विरचित आरोपों से दोषमुक्त करने के लिए तैयार हैं ।

13. हमारी सुविचारित राय में, जहां तक अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149 के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, यह विधिक रूप से संधार्य नहीं है और एक से अधिक कारणों से अपास्त किए जाने योग्य है ।

14. प्रथम, यह विवादग्रस्त नहीं है कि सेशन न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149 के अधीन आने वाले अपराध कारित करने के लिए पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया था । यह भी विवादग्रस्त नहीं है कि अपीलार्थी की दोषमुक्ति को राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल करके चुनौती नहीं दी गई थी ।

15. मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, अभियुक्त (इस अपील में अपीलार्थी) द्वारा फाइल की गई अपील में उच्च न्यायालय के लिए इस प्रश्न पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि इस प्रश्न ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी ।

16. द्वितीय, किसी भी स्थिति में, पांच अभियुक्त व्यक्तियों को भी उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149 के अधीन विरचित किए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था, इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्वोक्त धारा 148/149 के अधीन उसकी दोषसिद्धि का कोई मामला नहीं बनता था । दूसरे शब्दों में, सेशन न्यायाधीश द्वारा जब एक बार यह अभिनिर्धारित कर दिया गया था कि सभी छह अभियुक्त व्यक्तियों को पूर्वोक्त धारा 148/149 के अधीन दोषसिद्ध नहीं

किया जा सकता है और तद्नुसार, दोषमुक्त कर दिए गए थे तथा आदेश के इस भाग के विरुद्ध राज्य द्वारा कोई अपील फाइल नहीं की गई थी, इसलिए उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149 के अधीन दोषसिद्ध करके न्यायोचित नहीं किया था ।

17. तृतीय, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह विवादग्रस्त नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने "विधिविरुद्ध जमाव" का सदस्य होने के कारण छह व्यक्तियों को नामित किया था जिनमें एक अपीलार्थी भी था ।

18. अभियोजन का यह पक्षकथन नहीं है कि यद्यपि इन छह अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149 के अधीन विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था, तो भी घटना के समय अपीलार्थी के साथ इन पांच नामित अभियुक्त व्यक्तियों से भिन्न कुछ और अज्ञात व्यक्ति मौजूद थे और इसलिए पांच अभियुक्त व्यक्तियों की दोषमुक्ति के होते हुए भी अपीलार्थी को ऐसे अज्ञात व्यक्तियों के साथ विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में फिर भी दोषसिद्ध किया जा सकता था ।

19. पूर्वोल्लिखित तीन कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड सहिता की धारा 148/149 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध करके न्यायोचित नहीं किया था । अतः, दोनों धाराओं के अधीन दोषसिद्धि तथ्यों के आधार पर और विधि की दृष्टि से संधार्य नहीं है और इसलिए, अपास्त किए जाने योग्य है ।

20. अब जहां तक अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, यह भी तथ्यात्मक और विधिक रूप से निम्नलिखित कारणों से संधार्य नहीं है । प्रारंभ में, यह उद्धृत करना उपयुक्त होगा कि उच्च न्यायालय ने पैरा 15 में प्रश्नगत विवाद्यक पर कैसे विचार किया है :–

> "..... पुनरावृत्ति करते हुए, हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध

जो यह निष्कर्ष निकाला गया है उसने ही वह गोली चलाई थी जो मृतक सिया राम को लगी थी और उसकी मृत्यु हुई थी, अभिलेख पर इसका सुझाव देने वाला कोई साक्ष्य नहीं है .....।"

21. पूर्वोक्त तर्काधार से स्वयमेव यह इंगित होता है कि यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी ने ही वह गोली चलाई थी जिससे सिया राम की मृत्यु हुई थी; द्वितीय, प्राक्षेपिकी रिपोर्ट (प्रदर्श सी-1) से अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं होता है क्योंकि इसमें यह राय व्यक्त की गई है कि दागे गए और घटनास्थल से बरामद किए गए कारतूसों को अपीलार्थी की राइफल से नहीं दागा जा सकता था और तृतीय, अभिकथित राइफल को घटना के ठीक पश्चात् पुलिस अभिरक्षा में नहीं लिया गया था अपितु इसे अपीलार्थी द्वारा न्यायालय में अभ्यर्पित किया गया था ।

22. पूर्वगामी कारणों से, हमारा यह मत है कि अपीलार्थी संदेह के फायदे का हकदार है और इसलिए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन उसके विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।

23. तद्नुसार, यह अपील सफल होती है और मंजूर की जाती है । आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी-रामवीर (अभियुक्त-1) को भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अतः, उसे यदि उसकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो, मुक्त किया जाता है।

24. लंबित आवेदन (आवेदनों) का, यदि कोई है, निपटारा हो जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.